## Cochin-Madura National Highway

1747. SHRI THENNALA BALAK-RISHNA PILLAI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government fixed the length of Cochin-Puthencuze route in the Cochin-Madura National Highway;

- (b) if so, the details thereof; and
- (c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKAT-RAMAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Survey and Investigation is in progress and the alignment can be fixed only after Survey and Investigation is completed.

## Missing Women

1748. SHRI SÜSHILKUMAR SAM-BHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of missing women, as per latest records available in the country; and

(b) whether it is a fact that a large number. of them find their way to brothels or otherwise pushed into flesh trade?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) and (b) No specific information regarding the number of missing women is available. However, according to available information, there were 12,998 cases of kidnapping and abduction of women and girls in the country during the year 1994 for various purposes as per details given below ----

Prostitution: Other purposes:		299 12699
	Total:	12998

The registration, detection, investigation and prevention of crime is primarily the responsibility of the State Governments.

## भारतीय दूतावासों में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

1749. **श्री अजीत जोगी: क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी-कितनी शिकायरों प्राप्त हई हैं: और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

विदेश मंत्री (बी इन्द्र कुमार गुजराल): जी हां। मिशन प्रमुखों को कर्भा-कभी शिकायतें मिलती हैं जो अधिकतर पासपोर्ट बीजा, तथा अन्य सेवाओं के लिए आवेदनकर्ताओं से प्राप्त होती हैं। आमतौर पर इन शिकायतों में यह कहा जाता है कि उन्हें अच्छी तरह सुना नहीं गया है, कार्रवाई करने में देर हुई है, शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है अथवा इसी स्वरूप की कोई अन्य शिकायतें। इन शिकायतों को गब्मीरता से लिया जाता है और विशेष रूप से कोंसली अनुमागों को कहा जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि तत्काल और शिष्टाचारपूर्ण सेवा मुहैया करार्या जाती है जहां कहीं आवश्यक हुआ है, जूककर्ता अधिकारियों के खिलाफ समुचित कड़ी कार्रवाई भी की गयी है।

(ख) और (ग) विवरण के अनुसार।